

भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3022
बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण दायित्व के लाभ

3022. कैप्टन बृजेश चौटा:

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

श्री प्रताप चंद्र षड्गी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विकास पर नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण दायित्व (आरईएफओ) का अनुमानित वित्तीय प्रभाव और संभावित लाभ क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने नवीकरणीय परियोजनाओं, विशेषकर रुफटॉप सौर ऊर्जा के लिए वित्तपोषण प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर वित्तीय संस्थानों और हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हैं;

(ग) लचीली ऋण शर्तों और हरित निवेश प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने आरईएफओ प्रस्तावित करने से पहले नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) और इसी तरह के अधिदेशों की प्रभावशीलता की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने दक्षिण कन्नड जैसे तटीय और औद्योगिक क्षेत्रों में रुफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष पहल की है, जहाँ सौर ऊर्जा की क्षमता महत्वपूर्ण है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हैं?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण दायित्व (आरईएफओ) से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक समर्पित वित्तीय परिस्थितिकी तंत्र बनाने की उम्मीद है, जिससे देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और नेट-जीरो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्थापना में तेजी लाने के लिए निरंतर पूँजी प्रवाह सुनिश्चित हो सके। व्यापक तौर पर, आरईएफओ तंत्र द्वारा निम्नलिखित पर कार्य करने की संभावना है:

- वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने के लिए वित्तपोषण के अंतर में कमी को पूरा करना, जिसके लिए अनुमानित 30 लाख करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता होगी।
- वित्तीय संस्थानों को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संसाधन आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।
- स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आयात निर्भरता को कम करना।

- हरित ऊर्जा परियोजनाओं में वित्तीय लागत को कम करके और किफायतता (इकोनॉमीज ऑफ स्केल) में सुधार लाकर लंबे समय में विजली की लागत में कमी करना।

(ख) और (ग): जी, हाँ। एमएनआरई द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और लचीली ऋण शर्तों को सरल बनाने के लिए वित्तीय संस्थानों और हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

इस संबंध में एमएनआरई की कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

- अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त जुटाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, जहां प्रमुख बैंकों और एनबीएफसी को वित्तपोषण चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है।
- बैंकों और उद्योग के नेतृत्व के साथ सीधे परामर्श करना, जिसमें ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह करना।
- वित्तपोषण को और अधिक सुलभ बनाने के लिए ग्रीन बॉन्ड और रियायती ऋण जैसे ग्रीन फाइनेंसिंग साधनों को प्रोत्साहित करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण के लिए विनियामक समर्थन बढ़ाने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों और आरबीआई के साथ नियमित चर्चा द्वारा यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लाभ अधिक ग्रीन परियोजनाओं आदि तक बढ़ाए जाएं।

इसके अलावा, एमएनआरई के अंतर्गत एक वित्तीय संस्थान भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लि. (इरेडा) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सक्रिय रूप से वित्तपोषित कर रहा है। इरेडा ने बिजनेस-टू-कस्टमर सेगमेंट को लक्षित करते हुए एक समर्पित रिटेल डिवीजन शुरू किया है। इरेडा में ऋण आवेदन की समस्त प्रक्रिया को सरलीकृत प्रक्रियाओं के साथ डिजिटल कर दिया गया है।

(घ) नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ) के अनुपालन के लिए किफायती लागत पर नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स द्वारा प्रतिस्पर्धी दरों पर अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने में वित्तपोषण की लागत एक प्रमुख घटक है। तदनुसार, मंत्रालय ने वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) को आरईएफओ को अनिवार्य बनाने पर विचार करने का सुझाव दिया है।

(ङ) देश में तटीय और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे दक्षिण कन्नड में रूफटॉप सौर को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश में सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना का लक्ष्य आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों के लिए 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय से रूफटॉप सौर स्थापित करना है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक कार्यान्वयित किया जाना है।
